राजकीय नर्सेस संघ, उत्तर प्रदेश

RAJKIYA NURSES SANGH, UTTAR PRADESH

(Recognised by U.P. Govt. No. 4882/16-16-13-79-8 (201)-/79 Dated 24-9-79)

कार्यालय :
मिडइफरी बिल्डिंग, नर्सेस हास्टल,
के०जी०एम०यू०, लखनऊ

संस्थापक :
प्रो. आर.के. दुबे

अध्यक्ष :
पूनम शर्मा
9935406547

महामंत्री :
अशोक कुमार
9415139203

कोषाध्यक्ष :
जितेन्द्र बहादुर सिंह
9450649900

उपाध्यक्ष :
राजेन्द्र शुक्ला
राकेश शर्मा
सुमित्रा पाण्डेय
सुशीला राज
जरीना कुसमिथ

संयुक्त सचिव :
तारा चौहान
महेन्द्र सिंह राठौर
हृदय नारायण राजपूत
शालिनी भटनागर
लीना एलिजाबेथ लाल

आडीटर :
इन्द्रा चतुर्वेदी

पत्रांक :   दिनांक : 15.5.2012

सेवा में,
मा० मुख्यमंत्री जी,
उत्तर प्रदेश सरकार,
एनेक्सी लखनऊ।

विषयः—चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत नर्सिंग संवर्ग की समस्याओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि राजकीय नर्सेस संघ, उ०प्र० से चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, डा०आर०एम०एल० मेडिकल इंस्टीट्यूट, गोमतीनगर, लखनऊ एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० में कार्यरत नर्सिंग संवर्ग के कर्मी भी संबद्ध है, जिनके लिए राजकीय नर्सेस संघ, उ०प्र० द्वारा उठाई गयी मॉगें काफी समय से लम्बित चल रही हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि राजकीय नर्सेस संघ, उ०प्र० की निम्नलिखित लम्बित मॉगों का निराकरण शीघ्र कराये जाने की कृपा करें:—

क्रमांक	मांग	औचित्य	सुझाव
1.	(अ) भारत सरकार (इण्डियन नर्सिंग काउंसिल) के मानकानुसार नर्सिंग संवर्ग के पदों को सृजित करते हुए भरा जाय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की भांति ग्रेड पे दिये जाने के संबंध में।	(अ) चिकित्सा विश्वविद्यालय के सम्बद्ध चिकित्सालय एवं नवनिर्मित मेडिकल कालेजों के समबद्ध चिकित्सालयो में केवल स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती की गयी है, जबकि उपरोक्त संस्थानों में समस्त उच्च पद खाली रखे गये हैं, जिससे नर्सिंग सेवाओं का कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है, जबकि शासन के वित्त (वेतन आयोग) के अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—वे०आ० —2—2059/दस—54 (एम)/2008 टी०सी०, दिनांक 08.09.2010 के पेज—2 के प्रस्तर—4 में स्पष्ट उल्लेख है कि चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत आयुर्वेदिक/यूनानी तथा होमियोपैथिक विभाग एवं अन्य राजकीय विभागों में उपलब्ध नर्सिंग संवर्ग के पदों पर भर्ती की विधि, शैक्षिक/तकनीकी प्रशिक्षण/ अनुभव संबंधी अर्हताएं तथा वेतनमान आदि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एलोपैथिक नर्सिंग संवर्ग के पदों के समतुल्य निर्धारित किया जाय।	(अ) भारत सरकार (इण्डियन नर्सिंग काउंसिल) के मानकानुसार नर्सिंग संवर्ग के पदों को सृजित कर भरे जायं, जिससे प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों के सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं चिकित्सा विश्वविद्यालयों के सम्बद्ध चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों को बेहतर नर्सिंग सेवायें प्रदान की जा सकें, जो कि जनहित में नितांत आवश्यक है तथा साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की भांति स्टाफ नर्सेस को ग्रेड—पे रु0 4600/— दिया जाय।
	(ब)नर्सिंग महाविद्यालय, कानपुर में नर्सिंग संवर्ग के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाय।	(ब) नर्सिंग महाविद्यालय, कानपुर में नर्सिंग संवर्ग के पद रिक्त होने के कारण बी०एस०सी० नर्सिंग(बेसिक) पाठ्यक्रम पूर्णतः बन्द कर दिया गया है, केवल बी०एस०सी० नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) पाठ्यक्रम चल रहा है।	(ब) यदि नर्सिंग महाविद्यालय, कानपुर के रिक्त पदों को तत्काल भर कर बी०एस०सी० नर्सिंग (बेसिक) पाठ्यक्रम एवं अन्य रिफ्रेशर कोर्स चलायें जायं, जिससे प्रदेश में कार्यरत नर्सेस को आधुनिक तकनीकों का ज्ञान मिलेगा एवं उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी।

राजकीय नर्सेस संघ, उत्तर प्रदेश
RAJKIYA NURSES SANGH, UTTAR PRADESH

(Recognised by U.P. Govt. No. 4882/16-16-13-79-8 (201)-/79 Dated 24-9-79)

कार्यालय :
मिडइफरी बिल्डिंग, नर्सेस हास्टल,
के०जी०एम०यू०, लखनऊ

पत्रांक : दिनांक :....................

संस्थापक :
प्रो. आर.के. दुबे

अध्यक्ष :
पूनम शर्मा
9935406547

महामंत्री :
अशोक कुमार
9415139203

कोषाध्यक्ष :
जितेन्द्र बहादुर सिंह
9450649900

उपाध्यक्ष :
राजेन्द्र शुक्ला
राकेश शर्मा
सुमित्रा पाण्डेय
सुशीला राज
जरीना कुसमिथ

संयुक्त सचिव :
तारा चौहान
महेन्द्र सिंह राठौर
हृदय नारायण राजपूत
शालिनी भटनागर
लीना एलिजाबेथ लाल

आडीटर :
इन्द्रा चतुर्वेदी

	(स) संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक(नर्सिंग) के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाय।	(स) उ0प्र0 शासन द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में दोनों पद सृजित हैं। इसी तरह चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी इन पदों को सृजित कर भरा जाय। जैसा कि वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 08.09.2010 के पेज- 3 के प्रस्तर–4 में उल्लेख किया गया है।	(स) उक्त शासनादेश के लागू होने से नर्सेज संवर्ग की प्रशासनिक कार्य शैली पर महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा एवं संवर्ग की कार्य प्रणाली में सुधार होगा।
2.	केन्द्र सरकार के समान नर्सिंग, बोर्डिंग, वाशिंग, यूनीफार्म, शिक्षा व अन्य भत्ते दिलवाये जायं।	भारत सरकार(आई0एन0सी0) में नर्सिंग कर्मियों को नर्सिंग/ बोर्डिंग एलाउंस रु0 3200/– प्रतिमाह तथा यूनीफार्म/वाशिंग एलाउंस रु0 800/– प्रतिमाह अनुमन्य है, जो डी0ए0/वेतन बढ़ने पर 25 से 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि उ0प्र0 में नर्सिंग कर्मियों को नर्सिंग/बोर्डिंग एलाउंस रु0 115/– प्रतिमाह तथा यूनीफार्म एलाउंस रु0 1437.50 मात्र पांच वर्ष में एक बार एवं वाशिंग एलाउंस रु0 50/– प्रतिमाह ही अनुमन्य है। उक्त से स्वयं यह स्पष्ट है कि इतनी कम धनराशि से नर्सों को साफ–सुथरी वर्दी में ड्यूटी पर आना संभव नहीं है।	उ0प्र0 शासन के चिकित्सा अनुभाग–11 के अर्द्धशासकीय पत्र सं0- 459(1)–5/11/09 एन(78)/08, दिनांक 17.02.09 द्वारा भारत सरकार के अनुरूप भत्ते दिये जाने की संस्तुति वेतन समिति को की गयी है, किन्तु अभी तक स्वीकृत जारी नहीं हुई है। अतः चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा भी उपरोक्त एलाउंसेज को वेतन समिति के समक्ष संस्तुति हेतु भेजा जाय, जिससे प्रदेश में कार्यरत समस्त नर्सिंग संवर्ग में एकरूपता आयेगी एवं शासन के वित्त (वेतन आयोग) के अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–2059/दस–54 (एम)/ 2008 टी0सी0, दिनांक 08.09.2010 का अनुपालन भी हो सकेगा।
3.	चिकित्सालय परिसर में आवासीय सुविधा दिये जाने एवं आवासीय सुविधा की उपलब्धता न होने पर आवासीय भत्ता दिलवाया जाय।	चिकित्सालय परिसर में आवास होने पर आकस्मिक परिस्थितियों में नर्सेस को तत्काल ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है, वैसे भी देखा जाय, तो नर्सेज की इमरजेंसी (24 घंटे) की सेवायें होती है और नर्सेज संवर्ग में 95 प्रतिशत महिला स्टाफ होने के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नर्सिंग संवर्ग को वरीयता के आधार पर चिकित्सालय परिसर में आवास उपलब्ध कराया जाय।	यदि नर्सेस को चिकित्सालय परिसर में आवासीय सुविधा मुहैय्या की जाती है, तो आकस्मिक सेवाओं हेतु इनकी उपलब्धता निश्चित होगी एवं ज्यादातर महिला होने के कारण अन्य परेशानियों का सामना करने से बचेंगी, जोकि जनहित में उचित होगा। जबकि कुछ नवनिर्मित मेडिकल कालेजों में लिपिक संवर्ग एवं अन्य कर्मियों के आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, जोकि आकस्मिक सेवाओं के अन्तर्गत नहीं आते हैं। अतः नर्सेस संवर्ग को अतिशीघ्र चिकित्सा विश्वविद्यालयों व नवनिर्मित मेडिकल कालेजों एवं अन्य संस्थाओं में आवासीय सुविधा मुहैया कराया जाय या सरकार द्वारा उपलब्ध आवासीय भत्ता अनुमन्य कराया जाय।

राजकीय नर्सेस संघ, उत्तर प्रदेश

RAJKIYA NURSES SANGH, UTTAR PRADESH

(Recognised by U.P. Govt. No. 4882/16-16-13-79-8 (201)-/79 Dated 24-9-79)

कार्यालय :
मिडइफरी बिल्डिंग, नर्सेस हास्टल,
के०जी०एम०यू०, लखनऊ

संस्थापक :
प्रो. आर.के. दुबे

अध्यक्ष :
पूनम शर्मा
9935406547

महामंत्री :
अशोक कुमार
9415139203

कोषाध्यक्ष :
जितेन्द्र बहादुर सिंह
9450649900

उपाध्यक्ष :
राजेन्द्र शुक्ला
राकेश शर्मा
सुमित्रा पाण्डेय
सुशीला राज
जरीना कुसमिथ

संयुक्त सचिव :
तारा चौहान
महेन्द्र सिंह राठौर
ह्रदय नारायण राजपूत
शालिनी भटनागर
लीना एलिजाबेथ लाल

आडीटर :
इन्द्रा चतुर्वेदी

पत्रांक :

दिनांक :...................

4.	कालेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर में बी०एस० सी०नर्सिंग पोस्ट बेसिक पाठ्यक्रम मे छात्रों की संख्या 25 है, जिसमें वृद्धि कर 100 किया जाय।	लगभग 30 वर्ष पूर्व पुराने कालेज आफ नर्सिंग में मात्र 25 सीटों के साथ बी०एस०सी० नर्सिंग(पोस्ट बेसिक) पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। 30 वर्ष पहले नर्सेस की संख्या लगभग 2500 थी, जबकि वर्तमान समय में चिकित्सा शिक्षा विभाग पृथक विभाग एवं जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए नर्सिंग संवर्ग की संख्या लगभग 10,000 हो गयी है, परन्तु बी०एस०सी० नर्सिंग पोस्ट बेसिक के सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं हो सकी है।	प्रदेश में एक मात्र नर्सिंग महाविद्यालय, उ0प्र0 सरकार के अधीन है, जिसमें बी०एस०सी० नर्सिंग(पोस्ट बेसिक) प्रशिक्षण प्राप्त कर नर्सेस प्रदेश के अन्य जी०एन०एम० सेन्टर पर उचित एवं गुणवत्ता पूर्वक तथा भारत सरकार के मानकानुसार प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। 25 सीटों की संख्या में वृद्धि कर 100 सीट किये जाने से अधिक से अधिक नर्सेज बी०एस०सी० नर्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगी और नर्सिंग स्कूलों/कालेजों में जाकर भारत सरकार के मानक के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान कर सकेगी, जिसका नर्सिंग सेवाओं पर गुणवत्तापरक प्रभाव दिखेगा।
5.	प्रदेश में नवसृजित मेडिकल कालेजों व चिकित्सा विश्वविद्यालय में बी०एस०सी० नर्सिंग(बेसिक पाठ्यक्रम) प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाय।	नवनिर्मित मेडिकल कालेजों में बी०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम शुरू किये जायें, जिससे निकट भविष्य में नर्सेस की कमी को दूर किया जा सके एवं प्रशिक्षित नर्स प्राप्त हो सकें, जो जनहित में होगा।	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए प्रदेश में जी०एन०एम० सेन्टर एवं नर्सिंग कालेजों की कमी को पूरा किया जा सकता है तथा अधिक से अधिक संख्या में मानक के अनुरूप एवं कार्य कुशल नर्सेस उपलब्ध हो सकेंगी। शासन के वित्त (वेतन आयोग) के अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–वे0आ0 –2–2059/दस–54 (एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 08.09. 2010 के प्रस्तर–3 में भी ज्यादा से ज्यादा नर्सिंग संस्थान शुरू किये जाने की संस्तुति शासन द्वारा की गयी है।
6.	नर्सिंग संवर्ग के गुणवत्ता में वृद्धि हेतु एम०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाये।	समस्त भारत वर्ष में सरकार द्वारा एम०एस०सी० नर्सिंग का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, किन्तु अकेले उ0प्र0 में यह पाठ्यक्रम नहीं है, जिसके कारण लोगों को प्रशिक्षण हेतु प्रदेश के बाहर जाना पड़ रहा है तथा कम संख्या में लोग प्रदेश के बाहर जाकर प्रशिक्षण ले पा रहे हैं। यदि सरकार द्वारा यह पाठ्यक्रम प्रदेश में प्रारम्भ किया जाता है, तो नर्सिंग संवर्ग में गुणात्मक प्रशिक्षण देने में मदद मिलेगी। हमारे प्रदेश में पाठ्यक्रम न होने के कारण प्रदेश से बाहर के लोगों को लाकर पदों को भरा जाता है, जोकि जनहित में नहीं है।	भारत सरकार (इण्डियन नर्सिंग कौंसिल) के मानकानुसार प्रत्येक नर्सिंग कालेजों एवं नर्सिंग स्कूलों के प्रधानाचार्य पद के लिए एम०एस०सी० नर्सिंग की उपाधि आवश्यक है। अतः विभिन्न कालेजों एवं स्कूलों में एम०एस०सी० नर्सिंग उपाधि धारकों की आवश्यकता होगी, जिससे प्रदेश के बाहर के लोगों को लाकर पदों को भरा जायेगा, जिससे हमारे प्रदेश के नर्सिंग संवर्ग का अहित होगा। अतः अधिक संख्या में एम०एस०सी० नर्सिंग उपाधि धारकों को अपने प्रदेश में तैयार करने एवं नर्सिंग सेवाओं के आधुनिकीकरण करने के लिए एम०एस०सी० पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाए जो हमारी नर्सिंग सेवाओं के लिए एक उचित कदम होगा।

राजकीय नर्सेस संघ, उत्तर प्रदेश
RAJKIYA NURSES SANGH, UTTAR PRADESH

(Recognised by U.P. Govt. No. 4882/16-16-13-79-8 (201)-/79 Dated 24-9-79)

कार्यालय :
मिडइफरी बिल्डिंग, नर्सेस हास्टल,
के०जी०एम०यू०, लखनऊ

संस्थापक :
प्रो. आर.के. दुबे

अध्यक्ष :
पूनम शर्मा
9935406547

महामंत्री :
अशोक कुमार
9415139203

कोषाध्यक्ष :
जितेन्द्र बहादुर सिंह
9450649900

उपाध्यक्ष :
राजेन्द्र शुक्ला
राकेश शर्मा
सुमित्रा पाण्डेय
सुशीला राज
जरीना कुसमिथ

संयुक्त सचिव :
तारा चौहान
महेन्द्र सिंह राठौर
हृदय नारायण राजपूत
शालिनी भटनागर
लीना एलिजाबेथ लाल

आडीटर :
इन्द्रा चतुर्वेदी

पत्रांक :   दिनांक :....................

अतः श्रीमान् जी से विनम्र अनुरोध है कि उक्त मांगों की प्राथमिकता के आधार पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए निराकरण कराये जाने की कृपा करें, जिससे नर्सेस संवर्ग में व्याप्त असंतोष दूर किया जा सके।

भवदीय

(पूनम शर्मा)
अध्यक्ष

(अशोक कुमार)
महामंत्री

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन, विकास भवन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, छठां तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष / महामंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उ0प्र0, 39बी, दारूलसफा, लखनऊ।
4. समस्त समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, उ0प्र0, लखनऊ।

(अशोक कुमार)
महामंत्री